

प्रेषक,

ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 21 अगस्त, 2024

विषय: उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2024 हेतु अधियाचन के संबंध में।
महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 02.08.2024, विशेष प्रमुख सचिव, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 06.07.2023, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 13.08.2024, सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 02.08.2024, विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 07.08.2024, उप सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 16.08.2024, उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 05.08.2024 एवं उप सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 12.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, खाण्डसारी निरीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराये जाने हेतु अधियाचन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं; जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या					
			अनारक्षित	अनु० जाति	अ० पि० वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु० जनजाति	कुल पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार	18	08	05	03	02	36
2.	गृह विभाग	उप कारापाल	10	02	02	00	00	14
3.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	पूर्ति निरीक्षक	23	06	03	03	01	36
		विपणन निरीक्षक	05	01	00	00	00	06
4.	आबकारी विभाग	आबकारी निरीक्षक	05	00	00	00	00	05
5.	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग	जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी	02	00	01	01	00	04
6.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	02	00	00	00	00	02
		गन्ना विकास निरीक्षक	06	00	00	00	00	06
		खाण्डसारी निरीक्षक	02	00	01	00	00	03

7.	श्रम विभाग	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	03	01	01	00	00	05
8.	पंचायतीराज विभाग	कर अधिकारी	00	00	00	00	00	00
कुल योग-								117

2. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखण्ड की अधिवासी महिलाओं, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों, उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ियों एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को समय-समय पर विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित शैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। अधिसूचना दिनांक 18.08.2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु शैतिज आरक्षण की गणना निम्नवत् है-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	कुल रिक्त पदों के लक्ष्य उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु 10 प्रतिशत शैतिज आरक्षण की गणना के आधार पर पद	उच्च आरक्षण के अन्तर्गत वर्गीकरण				
					अनारक्षित	अनु जाति	अनु पि उर्न	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार	36	03	02	01	00	00	00
2.	गृह कारागार विभाग	एड/उप कारापाल	14	01	01	00	00	00	00
3.	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	पूर्ति निरीक्षक	36	03	02	01	00	00	00
4.	आवकारी विभाग	विषयान निरीक्षक	06	00	00	00	00	00	00
4.	आवकारी विभाग	आवकारी निरीक्षक	05	00	00	00	00	00	00
5.	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग	जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी	04	00	00	00	00	00	00
6.	गन्ना विकास एवं उद्योग विभाग	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	02	00	00	00	00	00	00
		गन्ना विकास निरीक्षक	06	00	00	00	00	00	00
		खाण्डसारी निरीक्षक	02	00	00	00	00	00	00
7.	श्रम विभाग	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	05	00	00	00	00	00	00
8.	पंचायतीराज विभाग	कर अधिकारी	00	00	00	00	00	00	00

3. उक्त पदों पर चयन के संबंध में अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या-107/XXX(2)/2014/55(41)2004 दिनांक 25.02.2014 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार

किया जायेगा।

4. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को संदर्भित उक्त अधियाचन प्रपत्रों को मय संलग्नकों सहित मूल रूप में प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों, जिनका विवरण उपरोक्त तालिका में है, के संबंध में भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

**Signed by Lalit Mohan
Rayal**

(ललित मोहन रयाल)

Date: 21-08-2024 18:33:59

अपर सचिव।

संख्या: /XXX(2)/2024-E.69336 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (2). विशेष प्रमुख सचिव, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (3). आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
- (4). सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (5). विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (6). उप सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (7). उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (8). उप सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (9). गार्ड फाईल।

ललित मोहन रयाल

अपर सचिव।